

आगामी गर्मियों में कुछ खास-खास स्टेशन चुन लिये जायेंगे और हर स्टेशन पर वाटरमैन (waterman जो कि यात्रियों को पानी पिए (platform जब कभी किसी प्लैटफॉर्म ) में कोई गाड़ी आय तो उस समय कम से कम ६ से ८ पानी पिलाने वाले आदमी मौजूद रहें जिससे कि हर डिब्बे में यात्रियों को अच्छी तरह से पानी मिल जाये। यह बात मैं मानता हूं कि यह एक खर्चीला प्रयोग है, मगर जरूरत के लिहाज से हमको इस प्रयोग को करना आवश्यक है।

मैं यहां पर यह भी कह देना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड (Railway Board) की तरफ से इस बात की भी को electric रही है कि इलेक्ट्रिक कूलर्स (coolers) द्वारा लोगों को ठंडा पानी दिया जाय। कुछ स्टेशनों में इसका प्रबन्ध शुरू भी कर दिया गया है। कहीं पर तो एक पैसा गिलास पर यात्रियों को ठंडा पानी आजकल दिया जा रहा है और कहीं पर तो बगैर पैसे के भी दिया जा रहा है। अभी तक ५१ स्टेशन ऐसे हैं जहां पर इस तरह के कूलर्स (coolers) लगाये गये हैं। मैंने स्वयं जाकर इन कूलर्स को देखा है और जनता को इससे काफी आराम पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं कि इसे जितना और बढ़ाया जा सके बढ़ाया जाय।

मैंने आपका काफी समय लिया और अब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि जो एक दो बातें और कहनी थीं वे आपके सामने रख सकूं मैं फिर आप सबको और हाउस (House) के मेम्बरान को इस बात के (Budget) के देता हूं कि उन्होंने इस बजट का स्वागत किया और इस पर पूरी शान्ति से विचार किया जिससे कि मेरा भी उत्साह कुछ बढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आगे

72-C. of S.

मैं और मेरे साथी रेलवे में काम करने वाले रेलवे के काम को और अच्छी तरह चला सकेंगे।

[For English translation, see Appendix IV, Annexure No. 32.]

#### ALLOTMENT OF TIME FOR CONSIDERATION OF THE APPROPRIATION BILL, 1953

MR. CHAIRMAN: I have to inform hon. Members that under rule 162(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, I have allotted two and a-half hours for the completion of all stages involved in the consideration and return of the Appropriation Bill, 1953. by the Council including the consideration and passing of amendments, if any, to the Bill.

#### THE APPROPRIATION BILL, 1953

MR. DEPUTY CHAIRMAN, in the Chair.

THE MINISTER FOR FINANCE (SHRI C. D. DESHMUKH): Sir, I move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1952-53, as passed by the House of the People, be taken into consideration."

Sir, the Supplementary Demands out of which this Bill arises were laid in the form of a statement on the Table of the House on the 17th and the Demands were granted by the House of the People on Thursday last, the 19th. The memoranda placed before you in regard to the Supplementary Demands contain, in my view, a sufficient explanation of why this additional expenditure has become necessary. I shall now proceed to draw attention to a few important points.

The first point is in regard to new services, that is to say, if any of these demands constitutes what might be re-